संख्या-572/2018/3021/22-2-2017-17(766)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 08 अगस्त, 2018**

विषय आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुंवरसेन पुत्र श्री कन्हईलाल, निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-39903/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-02-05-2017) दिनांक-04/16-11-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 04/16-11-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी कुंवरसेन पुत्र श्री कन्हईलाल, निवासी-मोहम्मदगंज रम्पुरा, थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। बन्दी के सहअभियुक्त रामस्वरूप की पत्नी प्रधानी का चुनाव हार गयी थी। रामस्वरूप ने लालता प्रसाद को सपरिवार धमकी दी तुम लोगों ने वोट नहीं दिया इसका नुकसान तुम्हे भुगतना पड़ेगा। इसी रंजिश में दिनांक 10.03.2001 को सांय लगभग 05:00 बजे 35 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर होली मिलन के अवसर पर बंदूक, देशी तमंचा, बांका, सूचा, लाठी, बल्लम से हमला कर 05 लोगों की हत्या की तथा 07 अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-212/2002 तथा 233/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 436/149, 302/149, 307/149, 506, 07 क्रि0ला0अमेण्डमेन्ट एक्ट व 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 /एस0टी0 एक्ट), पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्ययालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.02.2017 तक 15 वर्ष 10 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 08 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं **जिला मजिस्ट्रेट**, **पीलीभीत** द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी के सहअभियुक्त रामस्वरूप की पत्नी प्रधानी का चुनाव हार गयी थी। इसी रंजिश में दिनांक 10.03.2001 को 35 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर होली मिलन के अवसर पर बंदूक, देशी तमंचा, बांका, सूचा, लाठी, बल्लम से हमला कर 05 लोगों की हत्या की तथा 07 अन्य को घायल करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, पारिवारिक सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कुंवरसेन पुत्र श्री कन्हईलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी कुंवरसेन (बन्दी संख्या-17097) पुत्र श्री कन्हईलाल, निवासी जनपद-पीलीभीत के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति, सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-572/2018/3021(1)/22-2-2018 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद पीलीभीत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-572/2018/3021/22-2-2017-17(766)/2017

दिनांक 08 अगस्त, 2018 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुंवरसेन (बन्दी संख्या-17097) पुत्र श्री कन्हईलाल, निवासी-मोहम्मदगंज रम्पुरा, थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। बन्दी के सहअभियुक्त रामस्वरूप की पत्नी प्रधानी का चुनाव हार गयी थी। रामस्वरूप ने लालता प्रसाद को सपरिवार धमकी दी तुम लोगों ने वोट नहीं दिया इसका नुकसान तुम्हे भुगतना पड़ेगा। इसी रंजिश में दिनांक 10.03.2001 को सांय लगभग 05:00 बजे 35 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर होली मिलन के अवसर पर बंदूक, देशी तमंचा, बांका, सूचा, लाठी, बल्लम से हमला कर 05 लोगों की हत्या की तथा 07 अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-212/2002 तथा 233/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 436/149, 302/149, 307/149, 506, 07 क्रि0ला0अमेण्डमेन्ट एक्ट व 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 /एस0टी0 एक्ट), पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्ययालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.02.2017 तक 15 वर्ष 10 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 08 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं **जिला मजिस्ट्रेट**, **पीलीभीत** द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी के सहअभियुक्त रामस्वरूप की पत्नी प्रधानी का चुनाव हार गयी थी। इसी रंजिश में दिनांक 10.03.2001 को 35 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर होली मिलन के अवसर पर बंदूक, देशी तमंचा, बांका, सूचा, लाठी, बल्लम से हमला कर 05 लोगों की हत्या की तथा 07 अन्य को घायल करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, पारिवारिक सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कुंवरसेन पुत्र श्री कन्हईलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** कर दी गयी है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in